



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-27072026-274856
CG-TL-E-27072026-274856

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3932]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 25, 2026/श्रावण 3, 1948

No. 3932]

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 25, 2026/SHRAVAN 3, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 21 जुलाई, 2026

का.आ. 4102(अ).— रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 20ए की उप-धारा(I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के पश्चात् कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची में दिया गया है, तेलंगाना राज्य के सूर्यापेट जिले में विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् “मोटुमारी-विष्णुपुरम के बीच दोहरीकरण (89 किमी.)” के निष्पादन के लिए आवश्यक है, एतद्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने की अपनी इच्छा की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितप्रद्ध कोई भी व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उप-धारा (1) के अंतर्गत उपर्युक्त उद्देश्य के लिए ऐसी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग के संबंध में सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर भू-अर्जन में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है.

ऐसी प्रत्येक आपत्ति, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी, हुजूरनगर को लिखित रूप में दी जाएगी और उसके आधारों को निर्धारित की जाएगी तथा सक्षम प्राधिकारी राजस्व मंडल अधिकारी हुजूरनगर आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद तथा आगे

ऐसी जांच करने के बाद, यदि सक्षम प्राधिकारी यह आवश्यक समझता है तो वह किसी आदेश द्वारा आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा 20(डी) की उप-धारा (2) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी का कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत शामिल की गई भूमि की भू-योजनाएं और अन्य विवरण उपर्युक्त सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध हैं तथा इच्छुक व्यक्ति द्वारा इनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

तेलंगाना राज्य के सूर्यपेट जिला, मट्टमपल्ली(मं) में विशेष रेलवे परियोजना, “मोटुमारी-विष्णुपुरम के बीच दोहरीकरण (89 कि.मी.)” के लिए किसी संरचना सहित या उसके रहित अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का विवरण : यात्री और माल सुविधा के लिए विशेष रेलवे परियोजना, “मोटुमारी विष्णुपुरम के बीच दोहरीकरण (89 कि.मी.)” के बीच बाईपास लाइन।

क्र.सं.	मंडल का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण सं.	पहाणी के अनुसार अधिग्रहित क्षेत्र (एकड़ों में)	अधिग्रहित क्षेत्र (हेक्टेरों में)	भूमि का प्रकार (सरकारी/निजी)	भूमि की प्रकृति (आर्द्र/ शुष्क)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मट्टमपल्ली	मट्टमपल्ली	455	3.03	1.2444	पट्टा	शुष्क
2			458	2.06	0.8700	पट्टा	शुष्क
कुल				5.09	2.1144		

[फा. सं. W.Con.182/SRP-02/MTMI-VNUP/23-24/243/20A/210726]

मोतीलाल भूक्या, मुख्य इंजीनियर/निर्माण-II

MINISTRY OF RAILWAYS

(South Central Railway)

NOTIFICATION

Secunderabad, the 21st July, 2026

S.O. 4102(E).— In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (herein after referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule annexed here to, is required for execution of the Special Railway Project namely, “Doubling Between Motumari and Vishnupuram (89 km.)” in (1) Village in Mattampally (M), Suryapet District in the state of Telangana, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty (30) days from the date of publication of this notification in the official gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act.

Every such objection, shall be made to the Competent Authority, namely Revenue Divisional Officer, Huzurnagar in writing and shall be set out the grounds there of and the Competent Authority and Revenue Divisional Officer, Huzurnagar shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub section (2) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land under this notification are available and can be inspected by the interested persons at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project, Doubling between Motumari – Vishnupuram stations of Mattampally (M), Suryapet District, Telangana State.

Description of Land in Acquisition: Special Railway Project, Doubling line between Motumari - Vishnupuram stations (89 Km) for passenger and freight facility.

SL No	Name of the Mandal	Name of the Village	Survey No.	Extent area (in Acres) as per pahani	Extent of area (in Hectors)	Type of land (Govt/Pvt)	Nature of land (Wet/ Dry)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mattampally	Mattampally	455	3.03	1.2444	Patta	Dry
2			458	2.06	0.8700	Patta	Dry
Total				5.09	2.1144		

[F. No. W.Con.182/SRP-02/MTMI-VNUP/23-24/243/20A/210726]

MOTHILAL BHOOKYA, Chief Engineer/Con-II